

107 द. प्र. स. काम जाद्वि

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

पदलवाम सिंह

वसाम

प्रीतम कुमार वीर

M 49/2018 आदेश पत्रक

28/3/18

अभिलेख संख्या :- एम. 49 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी तौरपा के अप्राथमिकी संख्या :- 1/18

107

28/3/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द 0 प्र 0 स 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 12/4/18 को उपस्थापित करें।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

15/12/18

प्रथम पक्ष अनुपस्थित / द्वितीय पक्ष उपस्थित
अगली द्वितीय पक्ष जवाब जमा / अगली
दिनांक 7.01.18 को लेंगे।

(R)
15.12.18

7/1/19

द्वितीय पक्ष व अधिवक्ता
उपस्थित / प्रथम पक्ष उपस्थित /
उकाए पर अनुपस्थित / अगली दिनांक 15.01.18 को
रहे। द्वितीय पक्ष एव सदस्य उपस्थित।

(R)
07.01.19

15/01/19

द्वितीय पक्ष उपस्थित / प्रथम पक्ष
उपस्थित / प्रथम पक्ष अनुपस्थित / प्रथम
पक्ष जवाब दाखिल रहे। अगली तारीख 19.01.19 को
रहे।

(R)
15.01.19

19/01/19

प्रथम पक्ष उपस्थित / दिनांक 28/01/19
को रहे।

28/1/19

प्रथम पक्ष उपस्थित / प्रथम पक्ष जवाब
दाखिल रहे। अगली दिनांक 9.02.19 को
रहे।

(R)
28.01.19

09/02/19

प्रथम पक्ष उपस्थित / द्वितीय पक्ष
अनुपस्थित / अगली दिनांक 18.02.19
को रहे। प्रथम पक्ष जवाब दाखिल रहे।

(R)
09.02.19

18/02/19

द्वितीय पक्ष उपस्थित / कालावधि समाप्त
होने के कारण वाद की कार्यवाही बंद की गयी
है।

(R)
18.02.19